

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2014—कार्तिक 6, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

फा. क्र. 56-चार-2014-683.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 56-Symbol-2014-PPS-II, दिनांक 13 अक्टूबर 2014 राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाती है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2014—21 आश्विन, 1936 (शक)

अधिसूचना

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 तथा 10 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—

- (i) यह आदेश निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) (संशोधन) आदेश, 2014 कहा जाएगा.
- (ii) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा.

2. पैरा 10ख का प्रतिस्थापन

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 में संलग्न फार्म ख के पैरा 1 में विद्यमान तालिका जो कि निर्वाचन-क्षेत्र के नाम एवं नामित अभ्यर्थी(यों) के विवरण से संबंधित है, के स्तम्भ 5 के शीर्ष में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“स्थानापन्न अभ्यर्थी का नाम जो (i) अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम-निर्देशित पत्र की संवीक्षा के उपरांत खारिज किए जाने, अथवा (ii) उसके (अनुमोदित अभ्यर्थी) हट जाने के बाद उसका स्थान लेगा, जबकि, स्थानापन्न अभ्यर्थी का नामांकन पत्र संवीक्षा के उपरांत निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में स्वीकार कर लिया गया हो और स्थानापन्न अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है.”

आदेश से,
हस्ता./-
(वरिन्डर कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 13th October 2014—21, Asvina, 1936 (Saka).

NOTIFICATION

No. 56-Symbol-2014-PPS-II.—In exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution of India read with Rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Election Commission of India hereby makes the following Order to further amend the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, namely:—

1. Short Title and Commencement—

- (i) This Order shall be called the Election Symbols (Reservation & Allotment) (Amendment) Order, 2014.
- (ii) It shall come in to force with immediate effect.

2. Amendment of Form B

In Form B appended to the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, in the Table in paragraph 1 pertaining to the name of the constituency and the details of the candidate(s) nominated, for the existing entries in the heading of column (5) thereof, the following entries shall be substituted:—

“Name of the substitute candidate who will step in (i) on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny, or (ii) on his (approved candidate) withdrawing from the contest if, however, the nomination paper of substitute candidate is accepted on scrutiny as an independent candidate, and he is still a contesting candidate.”

By order,
Sd./-
(VARINDER KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.